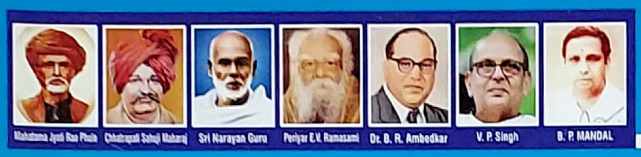

वॉइस ऑफ ओबीसी

सहयोग राशि रु. 10/-

अन्य पिछड़े वर्गों की द्विमासिकी
अंक 15 - अगस्त 2012

अन्य पिछड़े वर्गों हेतु संसदीय समिति गठित किये जाने पर मंत्री श्री वी. नारायणसामी, पार्लियामेंटरी फोरम ऑफ ओबीसी एमपीज के समन्वयक सांसद श्री वी. हनुमंतराव एवं संसदीय समिति के सदस्य श्री एलानगोवन का अभिनन्दन, चेन्नई में.

अन्य पिछड़े वर्गों हेतु संसदीय समिति गठित किये जाने पर मंत्री श्री वी. नारायणसामी, पार्लियामेंटरी फोरम ऑफ ओबीसी एमपीज के कन्वेनर सांसद श्री वी. हनुमंत राव एवं श्री टी.एस. एलानगोवन का अभिनंदन, चेन्नई में दिनांक 3 मार्च 2012 को किया गया।

केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री वी. नारायण सामी, सांसद श्री हनुमंत राव एवं एलानगोवन का सम्मान करते फेडरेशन के प्रतिनिधि

सांसद श्री हनुमंत राव एवं एलानगोवन को शॉल द्वारा सम्मान करते फेडरेशन के संगठन सचिव अमृतांशु

श्री वी. नारायणसामी, मंत्री - पीएमओ

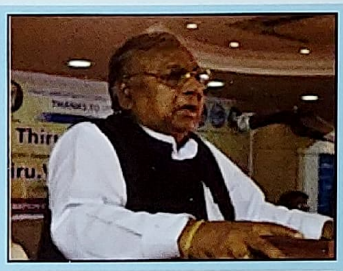

सांसद श्री हनुमंत राव

जस्टिस डॉ. ए. के. राजन

सांसद श्री टी.के.एस. एलानगोवन

AIOBC फेडरेशन की केन्द्रीय कार्यकारिणी की चेन्नई में बैठक

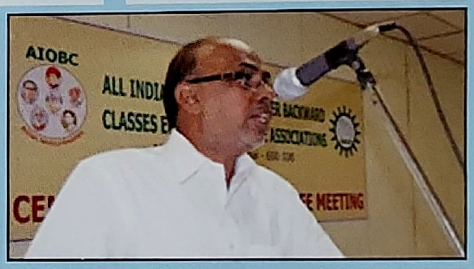

जी. करुणानिधि, महासचिव फेडरेशन

जी. पार्थसारथी, अध्यक्ष : फेडरेशन

अमृतांशु, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

एम. एलानगोवन, IIT

ए. राजसेकरन, इंडियन ओवरसीज बैंक

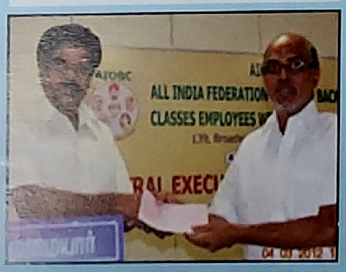

जी. नारायनन एवं करुणानिधि

प्रदीप डोबले, इंडियन एअरलाइंस

रीबा हांडिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

जे. अशोकन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

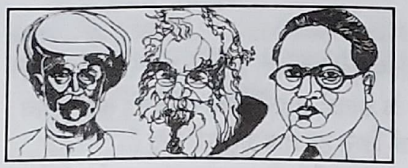

वॉइस ऑफ ओबीसी

अन्य पिछड़े वर्गों की द्विमासिकी

अंक - 15, अगस्त 2012

संपूर्ण संचालन अवैतनिक

(सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन)

परामर्श
जी. करुणानिधि, जे. पार्थसारथी
रवीन्द्र राम

प्रकाशक
रानी अमृतांशु

संपादक
अशोक आनंद
9415224153

मानद संपादक
अमृतांशु
9415392194

मानद सह संपादक
डा. हेमन्त कुमार
9453359701
विनोद प्रसाद शर्मा
9415889947
नवीन कुमार यादव
9305310507

प्रबंधक
अरविन्द कुमार

सहयोग
बसंत आर्य, सुनील कुमार, अशोक कुमार, विजय कुमार, डी.डी. प्रसाद, उमेश कुमार कुमार शशि, उपेन्द्र कुमार पाल, जयशंकर कुमार, मो. जलालुद्दीन, ऋषिकांत प्रसाद, दिलीप प्रसाद मेवा लाल यादव

पत्राचार
ई-मेल : aiobc.up@gmail.com
द्वारा- **होटल सुरभि इण्टरनेशनल**
पहड़िया, वाराणसी-221007

सहयोग राशि : 10 रुपये

डाक खर्च के साथ वार्षिक सहयोग 60/- डीडी/चेक "Voice of OBC" के नाम वाराणसी में देय भेजें।

प्रकाशित रचनाओं से संपादन मंडल की वैचारिक सहमति आवश्यक नहीं।

समस्त वाद विवादों का निपटारा वाराणसी न्यायालय में मान्य।

मुद्रक
प्रतीक प्रिंटर्स, वाराणसी। मो.: 9415623047

अमृतांशु

मेरे पास एक सपना है...

''आई हैव ए ड्रीम''... मेरे पास एक सपना है...। ये वाक्य उस महान क्रान्तिकारी युगद्रष्टा मार्टिन लूथर किंग (जुनियर) के हैं जिसने विश्व के सबसे मजबूत राष्ट्र अमेरिका सहित उन सभी राष्ट्रों में जहां कभी रंगभेद का अमानवीय अंतहीन फैलाव दिखता था, उखाड़ फेंका। अमेरिका का वह जिम क्रो कानून जिसके तहत अश्वेत निग्रो को बहुत से नागरिक अधिकारों जैसे वोटिंग अधिकार, लेबर राइट्स समानता आदि से बंचित रखा गया था, 21 दिसम्बर 1956 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने इस नस्लभेदी नीति को असंवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया। वजह थी 22 मीलियन अमेरीकी निग्रों का असंतोषपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलन। यह मार्टिन लूथर किंग की देन थी। जब मार्टिन ने ढाई लाख लोगों के समक्ष अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था ''आई हैव ए ड्रीम''... तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने कहा कि ''हमारे पास एक सपना है जब जोर्जिया के लाल पहाड़ों पर रहने वाले गुलाम के बेटों और गुलामों के मालिक एक साथ बैठकर भाईचारा निभाएगें...''उसने कहा कि ''आज भी निग्रो रंगभेद और असमानता के दलदल में जी रहे हैं, यह इस देश के लिए घातक होगा यदि इस आन्दोलन के महत्व को न समझा गया। अमेरिका में शांति और आराम तब तक नहीं होंगे जब तक कि निग्रो को उनका नागरिक अधिकार नहीं मिला... कि मेरा सपना है मेरे चारों बच्चें एक दिन ऐसे राष्ट्र में जिएं जहाँ उनकी पहचान उनके चमड़े के रंग से न हो बल्कि उनकी योग्यता से हो...।''

मार्टिन लूथर को मन बार बार याद करने को चाहता है। जी चाहता है कि उन्हें बार बार जन्म लेते हुए देखूं और हर जन्म पर उत्सव मनाऊं। कैसे देदिप्यमान रहें होंगे उनके हौसले... कितना बुलंद रहा होगा उनका निर्णायक कदम... उन सभी अमानवीय परिभाषाओं, परिपाटियों को तोड़ देने का ही नहीं उखाड़ फेंकने का वह बेमिसाल जज्बा... फक्र होता है... सोचता हूँ कि मैं भी ऐसा ही फौलादी होता। सामाजिक असमनताओं को खत्म करने के संकल्प के साथ महान आंदोलनों का नायक होता। नेलशन मंडेला को लें... भारत में डॉ0 अम्बेडकर को लें, नारायण गुरु को लें, पेरियार, ज्योतिबा फुले या साहु जी महाराज को लें... ये वो लोग थे जिन्होंने मनुष्य होने की लड़ाई लड़ी और लड़ते ही संसार से विदा हो गए।

लेकिन आज इनकी चर्चा क्यों जरुरी हो गयी। मित्रों, इन महापुरुषों का याद आना यूं ही नहीं है। हमारा भारत अपनी आजादी के पैंसठ साल पूरे कर चुका है। हम भारतवासी आजाद हैं। लेकिन इस आजादी के क्या मायने हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इस लोकतंत्र में पृथ्वी पूरी संपदा और सुविधाएं यदि मात्र कुछ फीसदी लोगों तक के नियंत्रण में हो, उपभोग और जरुरतों, वैभव और आवश्यकता के बीच किसी समाजशास्त्रीय अध्ययन का कोई प्रभाव यदि प्रभावशाली तबकों, नुमाइंदों या सरकारों का उपर नहीं होता दिखता है तब यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि आजादी हमारे पास है।

मित्रों, मेरी चिंता का कारण केवल इतना है कि तमाम तकनीकी सुविधाओं, औद्योगिक प्रगति और फैलती वैश्विक दुनिया में कमजोरों, असहायों, भारतीय समाज की जातियों वाले महान सामाजिक परम्परा की मार से आहत छोटी-छोटी जातियों के अमर्यादित जीवन जीने वाले मेरे ही वंशबेल की शाखाओं पर उगे मेरे समानधर्मा मानव प्राणियों का जीवन आज भी नारकीय क्यों है? यह कैसी आजादी है कि विश्व तकनीक मंगल पर जीवन की किरणें खोज रहा है और हम तमाम सरकारी दावों के बावजूद आज भी सर पर मैला ढो रहे हैं। छोटे बड़े सभी शहरों में नाले साफ करते हुए बदबूदार नालों में अपना शरीर डाल कर बांस के खपच्चे से सफाई करते आप सभी ने सफाईकर्मियों को देखा होगा। आखिर सफाईकर्मियों के लिए दुर्गंध, घृणा, उबकाई, मितली, असंतोष, अमर्यादा और सामाजिक सुविधाओं के मायने अलग हैं या भूख मिटाने के समीकरणों का ज्ञान जटिल है।

यह एक पक्ष है। इसी प्रकार कुपोषित बच्चों का प्रतिशत हमें चौंका देता है। गांवों के विद्यालयों का हाल देखें। पूजा मारवाह चाइल्ड राइट्स ऐंड यू की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहती हैं कि सालाना आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 16.6 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल की सुविधा नहीं है। जहां बच्चों को रोजाना 8-8 घंटे बैठने पड़ते है। 56 प्रतिशत विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है।

इसी प्रकार लगभग 49.84 लाख बाल मजदूर हैं हमारे यहां।

अमर्त्य सेन कहते हैं विकास और आजादी का संबंध महत्वपूर्ण है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी को बढ़ाना या प्रति व्यक्ति आमदनी में वृद्धि या औद्योगिकरण का बढ़ना या तकनीक का आधुनिकीकरण या फिर समाज का आधुनिकीकरण के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं लेकिन इसका महत्व इस पर निर्भर करना चाहिए कि उनसे लोगों के जीवन को क्या हासिल होता है और उनका नतीजा लोगों को किस हद तक आजादी देता है।

अर्थात सभी उन्नति के मूल में मनुष्य का जीवन है, और जीवन ही असुंदर हो तो चिंता का कारण बनता है। जीवन को सुंदर अर्थात मर्यादा सन्निहित न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं से पूर्ण होने की अपेक्षा प्रत्येक मनुष्य का उसके समाज और तंत्र से होता है। आइए बिना किसी भेदभाव के हम उस न्यूनतम मानवीय सुविधाओं को पूरा कर सकने के प्रति अपनी चेतना जगाएं और संविधान की प्रस्तावना " FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [unity and integrity of the Nation] को साकार करें।

7 अगस्त 1990

भारत में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक महान सामाजिक न्याय दिवस। हमने इसकी 22वीं वर्षगांठ पिछले दिनों 7 अगस्त 2012 को मनाई। 22 वर्ष पूर्व भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारतीय संसद में कहा- ''इस बैभवभूर्ण सदन में सामाजिक न्याय के एक महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा करते हुए आज मैं प्रसन्न हूँ जिसे मेरी सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सामाजिक एवं शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्गों के लिए लिया है।'' उन्होंने यह भी कहा कि-''आर्टिकल 360(1), 15(4), और 16(4) के संदर्भ में यदि सोच गया था कि सामाजिक एवं शेक्षणिक रुप से पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की पहचान की जाएगी, उनकी तकलीफें दूर होंगी एवं उनकी दशा में सुधार किया जायेगा। यह हमारे संविधान के मूल स्वरुप के प्रति नकार है कि आज तक उनकी ये जरुरतें पूरी नहीं हो पायीं।''

इस 22वीं वर्षगांठ पर हम माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह को नमन करते हैं। साथ ही सरकार के समक्ष अपनी चिंता भी रखते हैं कि इन बाईस वर्षों के बाद भी मंडल कमीशन की बहुत सारी सिफारिशें लागू नहीं की गई। सरकारी नौकरियों में आज भी प्रतिनिधित्व का प्रश्न सामने खड़ा है। विद्यालयों, महाविद्यालयों के दाखिले में पारदर्शिता नही दिखती। बार-बार संगठनों को न्यायालय के समक्ष गुहार लगानी पड़ती है।

यूपीए-2 सरकार को धन्यवाद

पिछले वर्ष 2011 के 21 दिसम्बर को लोकसभा एवं 22 दिसम्बर को राज्यसभा में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु संसदीय समिति गठन से संबंधित मोशन स्वीकृत कर लिया गया। इस महती कार्य हेतु हम यूपीए सरकार एवं विशेषकर लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमें खुशी है कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस द्वारा सन् 2004 से किए जा रहे प्रयासों को सफलता मिली। हम फेडरेशन के महामंत्री श्री जी0 करुणानिधि को बधाई देते हैं। समिति के गठन के पश्चात ओबीसी आरक्षण से संबंधित नीतियों एवं निर्देशों के पालन पर संस्थान कितने गंभीर हैं अथवा अनदेखी की स्थितियां बनी हुई है, हमारा विश्वास है इसपर गम्भीरता से कदम उठाए जा सकेंगे। ऐसी कोई सरकारी मशीनरी अब तक नहीं थी।

क्रीमीलेयर

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम मंडल कमीशन के सन्दर्भ में 8 सितम्बर 1993 के अपने फैसले में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही क्रीमीलेयर को परिभाषित कर अन्य पिछड़े वर्गों में उन सभी को आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जिनकी सालाना आय तब अर्थात 1993 में 1 लाख थी। हालांकि आदेश में यह भी लिखा कि क्रीमीलेयर के दायरे में कृषि कार्य से जुड़े लोग एवं वेतन भोगी ऐसे कर्मचारियों को नहीं लिया जाएगा जो क्लास-1 के लिए सीधे नियुक्त न हुए हो। इसके साथ ही अन्य मापदण्ड लिखे गए, जिन्हें विस्तार से जानने के लिए कृपया क्रीमीलेयर अवधारणा की विस्तृत जानकारी भारत सरकार के OM No. 36012/22/93-(SCT) दिनांक 08.09.1993 एवं DoPT No. 36033/5/2004-Estt(Res) दिनांक 14 अक्टूबर 2004 एवं DoPT No. 36033/3/2004-Estt(Res) दिनांक 14 अक्टूबर 2008 का अध्ययन करें। परन्तु यह दुर्भाग्य का विषय है कि सन् 93 के बाद से अब तक पूरे देश में ओबीसी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सरकारी पदाधिकारी न केवल इन दिशा निर्देशों की अवहेलना करते रहे बल्कि इसे जायज भी ठहराते रहे हैं। मैं अपील करना चाहूँगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एवं ओबीसी पार्लियामेंटरी कमीटी को अविलंब इन दिशा निर्देशों की सही अनुपालना सुनिश्चित कराई जाय।

सदैव ही हमसब का मार्गदर्शन करने वाले, सामाजिक चेतना से सराबोर, गहन अम्बेडकरवादी अध्ययन के धनी, लेखक, बौद्ध चिंतक, कई दलित एवं अन्य सामाजिक संगठनों को नेतृत्व देने वाले एवं संरक्षक माननीय सुबेदार राम साहब का पिछले दिनों देहावसान हो गया। उनकी कमी हम हमेशा महसूस करेगें। वॉइस ऑफ ओबीसी एवं सम्यक समाज की ओर से हम उनके प्रति श्रद्धाजंलि अर्पित करते हैं। हमारे बीच वरिष्ठ साथी, संपादक, चिंतक एवं सक्रिय कार्यकर्ता भाई संगमलाल एवं हमारे बीच के प्रखर अधिवक्ता कई पत्र-पत्रिकाओं के विधि सलाहकार भाई श्रीप्रकाश का देहावसान विगत दिनों हो गया हम उनके समग्र प्रयासों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं एवं श्रद्धाजंलि अर्पित करते हैं।

blog: signpost2.blogspot.com
email : aiobc.up@gmail.com

डॉ0 हेमंत कुमार

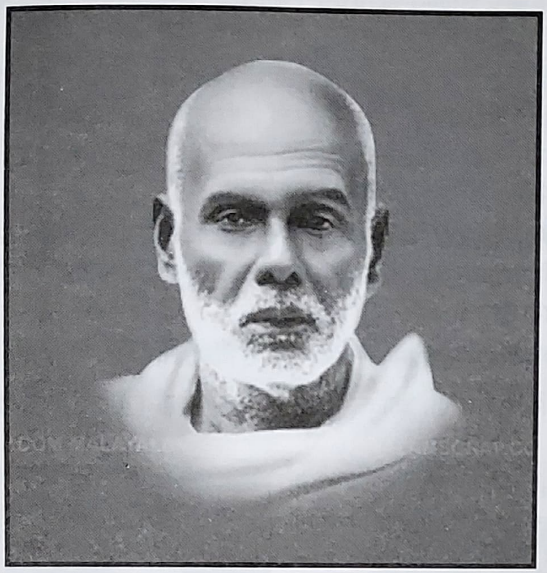

नारायण गुरू

जन्म : 20 अगस्त 1856
चेम्पाझांथी, थिरुवनंतपुर, मद्रास प्रेसीडेन्सी,
वर्तमान में केरल।

मृत्यु : 28 सितम्बर 1928

एक जाति
एक धर्म
एक ईश्वर
मानवता के लिए

भारतीय समाज सुधारकों में अर्निवचनीय स्थान रखने वाले नारायण गुरु संत, कवि वेदान्ती व अहिंसा के सिद्धांतों को मानने वाले सहृदय समाजविद थे। नारायण गुरु का विश्वास था कि ईश्वर एक है, सभी मानव व धर्म समान हैं। गुरु का संदेश था कि "शिक्षा से विकास है एवं संगठन शक्ति निहित है।

नारायण गुरु का जन्म मद्रास प्रेसीडेन्सी में त्रिवेन्द्रम के पास चेम्पाझान्शी गाँव में 20 अगस्त 1856 को एक किसान परिवार में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान भारत के केरल प्रान्त में स्थित है। नारायण गुरु के पिता का नाम मदन असान था। मदन असान एक शिक्षक थे। वे संस्कृत, आयुर्वेद एवं खगोल विज्ञान के ज्ञाता थे। माता का नाम कुट्टी अम्मा था। कुट्टी अम्मा सहृदय सामान्य गृहिणी थीं। गुरु के बचपन का नाम नानू था। नानू की तीन बहने थीं। जब नानू 15 वर्ष के थे, तब उनकी माता का देहान्त हो गया। नारायण गुरु का विवाह एक पारम्परिक ग्रामीण चिकित्सक की पुत्री कलिअम्मा से हुआ था। नानू की प्राथमिक शिक्षा एक स्थानीय स्कूल शिक्षक चेम्पाझन्यी पिल्लै की देख रेख में हुई। बचपन से ही नानू पिता की बातों व ज्ञान को ध्यान से सुना करते थे। नानू की शिक्षा में उनके पिता व चाचा का विशेष योगदान रहा। नानू के चाचा कृष्णन बैध आयुर्वेद चिकित्सक एवं संस्कृत के विद्वान थे। इन दोनों से नानू ने तमिल व संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। संगीत से नानू को विशेष लगाव था। वह बचपन से ही रामायण व महाभारत का अध्ययन करते एवं इनसे संबंधित भजनों को लिखते, उनका संगीत तैयार करते एवं गाते थे। वह कुशाग्र बुद्धि के थे एवं किसी भी स्थिति का तर्क पूर्ण विश्लेषण कर परखना उनकी विशेषता थी। बचपन का उनका ज्यादातर समय अपने पिता के साथ पढ़ाने व चाचा के साथ आयुर्वेद चिकित्सा में सहयोग करने में बीता।

21 वर्ष की अवस्था में वह प्रसिद्ध विद्वान कुम्माय पिल्ली रमन पिल्लै असान के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गये। वहाँ उन्होंने संस्कृत भाषा, कविता नाटक, वेदों व उपनिषदों का अध्ययन किया।

अपने पिता व पत्नी की मृत्यु के बाद नानू सन्यासियों की तरह भ्रमण कर अपना जीवन बिताने लगे। भ्रमण के दौरान उनकी भेंट चत्तमपी स्वामीकल कुन्जन पिल्लै से हुई। उन्होंने नानू की विद्वता व योग ज्ञान को परखा व उनकी मुलाकात हठ योगी थाईकड्ड अध्यातु से करवायी। जहाँ नानू ने हठ योग का ज्ञान प्राप्त किया।

1888 में सत्य की खोज में भटकते नानू एक निर्जन रमणीक पहाड़ी पर पहुँचे जहाँ वह प्रतिदिन रात में घण्टों नदी के पानी में खडे होकर साधना करते। नानू अझुवा समाज के थे। भारतीय समाज में समाये ऊच-नीच, छुआ-छुत, पूजा-पाठ में बाह्मणों के एकाधिकार से वह अत्यत व्यथित रहते थे। उन्होने दलित समुदायों मे आत्म सम्मान की भावना जाग्रत करने के लिए शिवगिरि की पहाड़ियों में एक मन्दिर का निमार्ण करवा कर वहाँ उन्होनें स्वयं के हाथों से मूर्ति की स्थापना की। इस मन्दिर के दरवाजे सवर्णो एवं अछूतों के लिए समान रुप से खुले हुए थे। ब्राह्मणों ने इसका बहुत विरोध किया क्योंकि इससे उन्हे अपना एकाधिकार खत्म होता दिखा। ब्राह्मणों के इस विरोध को शान्त करने के लिए नारायण गुरु ने कहा कि बच्चे की जाति उसके जन्म के बाद बनती है न कि उसके पहले। ईश्वर की नजर में हम सब समान है, हम सभी को यहाँ भाई चारे के साथ रहना चाहिए न कि

जाति की दीवारों के बीच नफरत व घृणा के साथ।

1904 से नानू ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरु किया और वह स्थायी रुप से शिवगिरी में ही रहने लगे। शिवगिरी के इस मन्दिर में सभी समुदायों के लोग समान रुप से आते थे।

शिवगिरी ही वह स्थान है जहाँ गुरु को ज्ञान व सिद्धी की प्राप्ति हुई। यहाँ पर स्थित गुरु की समाधि पर प्रति वर्ष 30 दिसम्बर से 1जनवरी के बीच श्रद्धालुओं की विशाल भीड एकत्रित होती है। शिवगिरी मठ में ही गुरु शिष्यों द्वारा स्थापित श्री नारायण धर्म संगम का मुख्यालय भी है। यहीं से वे चहुँओर गुरु के उपदेशों व नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं। शिवागिरी मठ का भ्रमण कई महापुरुषों व दिग्गज हस्तियों ने किया।

गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर के शब्दों में "मैने लगभग पूरी दुनिया का भ्रमण किया है और मुझे अनेक संतों और महर्षियों से मिलने का सौभाग्य मिला है। लेकिन मैं खुलकर स्वीकार करता हूँ कि मुझे आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसकी आध्यात्मिक उपलब्धियाँ स्वामी श्री नारायण गुरु से अधिक हो, अरे नहीं, उनके बराबर का भी कोई नहीं मिला। मैंने न तो दैवी आभा से देदीप्यामान उनके मुख्यमंडल को कभी भूल पाऊँगा और न अनंत क्षितिज के किसी दूरस्थ बिन्दु को निहारती उनकी तीक्ष्ण यौगिक आँखें ही विस्मृत हो पाऐंगी।

आचार्य विनोवा भावे के शब्दों में "श्री नारायण गुरु स्वामी पिछले 100 वर्षो में भारत में जन्म लेने वाले पाँच-दस अवतारों में से एक हैं। 1925 में जब मैं बोकम सत्याग्रह के लिए केरला गया था तब मुझे एक मौका उनसे मिलने का मिला था। अस समय वह वरकला में निवास कर रहे थे। वहाँ मैने उनसे एक या दो घंटे तक बात की। मैं इस महान संत को सत् सत् नमन् करता हूँ।"

महात्मा गाँधी ने भी श्री नारायण गुरु से मिलकर व एक दिन शिवगिरी मठ में बिताकर अपने को धन्य महसूस किया था।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने भी इस मठ का भ्रमण किया था। डा. जाकिर हुसैन भी गुरु के अद्वैत वेदान्त के सिद्धांत से प्रभावित एवं शिवगिरी मठ में भ्रमण हेतु आए थे।

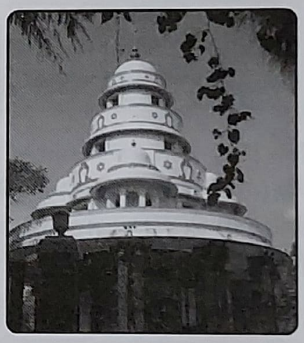

नारायण गुरु ने विभिन्न स्थलों पर मन्दिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने वरकला में गरीबों व अनाथों के लिए संस्कृत स्कूल की स्थापना की। गुरु के इन पुनीत कार्यो से समाज में व्याप्त ऊँच नीच की असमानता की भावना व व्यवहार में परिवर्तन हुआ।

1913 में अलुआ में गुरु ने अद्वैत आश्रम की स्थापना की जिसका सिद्धांत था 'ऊँ सहोदराय सर्वत्रा' कि सभी मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में समान हैं। 1921 में अलुआ में यूनिर्वशल ब्रदरहुड पर एक सेमीनार आयोजित की गयी। इसमें बडी संख्या में लोगों ने भाग लिया, गुरु की समानता की बातों के संदेश का प्रचार प्रसार देश-विदेश तक हुआ । गुरु की प्रेरणा व आर्शीवाद से उनके शिष्य नटराज गुरु ने 1923 में नीलगिरी हिल्स में नारायण गुरुकुलम् की स्थापना बोधानन्द स्वामिकल के विशेष सहयोग से की। यहाँ पर सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था। नारायण गुरु के शिष्यों ने उनके आदर्शों एवं विचारों का पश्चिमी देशों में भी प्रचार किया।

नारायण गुरु ने 1918 से 1923 के बीच कई बार श्रीलंका का भ्रमण किया। 1926 में वह सीलोन गये। वहाँ पर उन्होंने भ्रमण कर वहाँ की स्थितियों का अध्ययन किया व अपनी नीतियों व सिद्धांतों का प्रचार-प्रसार किया।

गुरु ने श्री नारायण धर्म परिपालना योगम् के संदेश में 1926 में कहा कि कोई भी समुदाय संगठन के बिना विकास नहीं कर सकता। इस संस्था के माध्यम से नारायण गुरु ने सामाजिक समानता एवं जाति विहीन समाज की स्थापना का संदेश दिया। उनके सुकृत्यों से निम्न जातियों में आत्मसम्मान व स्वाभिमान जागृत हुआ।

गुरु केवल संत ही नही अपितु एक समाज सुधारक युग पुरुष थे उनका कहना था कि जाति मत पूछो मत बताओ और न ही जाति के बारे में विचार करो। वह मानते थे कि निम्न वर्गो के पिछडेपन में उनकी गलत आदतें भी जिम्मेदार हैं। इसी को दृष्टि में रखते हुए शराब के बारे में गुरु ने कहा था कि शराब जहर है इसे मत बनाओ, मत बेचो और नहीं पियो क्योंकि कई जन जातियों में शराब बनाना, पीना व बेचना आम बात थी।

1928 में गुरु गम्भीर रुप से बीमार हुए अंततः 20 सितम्बर 1928 को उन्होंने प्राण त्याग दिया। परन्तु अपने संदेशों से वह आज भी अमर हैं।

नारायण गुरु की महानता को स्वीकार करते हुए 31 दिसम्बर 1991 में "शताब्दी का मलयाली" चुन कर सम्मानित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2006 में नारायण गुरु की 150 वीं वर्ष गांठ पर गुरु के सम्मान में सिक्के जारी किए।

डॉ. हेमन्त कुमार
कोषाध्यक्ष - स्टेट फेडरेशन
मो.: 9453359701

अन्य पिछड़े वर्गों हेतु संसदीय समिति का गठन

संसद भवन, दिनांक 21 दिसम्बर 2011, अपराह्न 12.10 । संसदीय मामलों के मंत्री माननीय श्री पवन कुमार बंसल ने सदन पटल पर अन्य पिछड़े वर्गों हेतु संसदीय समिति गठन किए जाने का प्रस्ताव रखा। समिति के गठन से संबंधित कई प्रावधान सासंदों के बीच रखे गए। प्रस्ताव के अन्तर्गत समिति में कुल 30 संसद सदस्य होंगे। इनमें से 20 सदस्य लोक सभा से एवं 10 सदस्य राज्य सभा से होंगे। समिति के अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन चुनने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होगा। समिति के सदस्यों में एक भी मंत्री नहीं होंगे एवं सदस्यों के मंत्री नामित होते ही तत्काल प्रभाव से समिति के सदस्य से अलग हो जाएगें।

समिति के कुछ मुख्य कार्य एवं प्रावधान संक्षेप में इस प्रकार होंगे-

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट 1993 के तहत स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा संस्तुत सुझावों एवं रिपोर्ट को स्वीकृत करना।
2. संविधान के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय सरकार के उन कार्यों की समीक्षा करना, जिसके अन्तर्गत अन्त पिछड़े वर्गों विशेषतः अति पिछड़े वर्गों का संवैधानिक, पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग, अर्ध सरकारी निकायों एवं संघ शासित प्रदेशों में सेवाओं एवं पदों में अपेक्षित प्रतिनिधित्व का विषय जुड़ा हो।
3. सामान्यतः केन्द्र सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से जुड़े सभी विषयों से दोनों सदनों को अवगत कराना। आदि।

अध्यक्ष : बी0 के0 हांडिक

लोक सभा : सदस्य		राज्य सभा : सदस्य	
श्री हंसराज गंगाराम अहिर	भारतीय जनता पार्टी	श्री वी0 हनुमंत राव	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
श्री समीर भुजबल	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	डॉ0 राम प्रकाश	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
श्री दारा सिंह चौहान	बहुजन समाज पार्टी	श्री रामचन्द्र खुंटिया	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
डा0 चार्लीस डायस	मनोनित-केरल	श्री नाटू जी हालाजी ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
श्री टी0के0एस0 एलांगोवन	डी0 एम0 के0	श्रीमति झरना दास वैद्य	सी0पी0आई0-एम0
श्री मुकेश कुमार भेरवदांजी गधवी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह	जनता दल-यू
श्री अनंत गंगाराम गीते	शिवसेना	श्री अरविन्द कुमार सिंह	समाजवादी पार्टी
श्री विजय हांडिक	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	श्री देवेन्द्र गौड़ टी0	तेलगु देशम पार्टी
डॉ0 कुपर्नी किल्ली	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य	असम गण परिषद
श्री पी0 कुमार	ए0आई0ए0डी0एम0के0		
श्री पी0सी0 मोहन	भारतीय जनता पार्टी		
श्री पोणम प्रभाकर	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस		
श्री अमरनाथ प्रधान	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस		
श्री रामकिशुन	समाजवादी पार्टी		
श्री ए0 सम्मपत	सी0पी0आई0-एम0		
श्री गणेश सिंह	भारतीय जनता पार्टी		
श्री मनिका टैगोर	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस		
श्री अरुण यादव	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस		
श्री हुकुमदेव नारायण यादव	भारतीय जनता पार्टी		
प्रो0 (डॉ0) रंजन प्रसाद यादव	जनता दल -यू		

रिपोर्ट -**अमृतांशु**

इतिहास की अमिट तारीखें

संकलन : डॉ0 हेमंत कुमार, रवीन्द्र राम, अमृतांशु

2006 **दिसम्बर 15 :** एम्स के 15 रेजिडेन्ट डॉक्टर ने शिक्षा बिल 2006 के लोक सभा में पास होने के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे।

2007 **जनवरी 21 :** दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस आरक्षण को तीन चरणों में लागू करने की योजना बनाई साथ ही कुल सीटों में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की भी बात की ताकि सामान्य छात्रों की भागीदारी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

2007 **फरवरी 11 :** एम्स के 4 डॉक्टरों ने विशेषिकृत निकायों में 50 प्रतिशत के आरक्षण के विरोध में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जिसके सन्दर्भ में हाई कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया कि जब तक वाद न्यायालय के अधीन है तब तक आरक्षण के अन्तर्गत चयनित छात्रों को नियुक्ति पत्र न दिए जाएं।

2007 **मार्च 29 :** याचिकाओं पर सुनवाई के क्रम में सर्वोच्च न्यायलय के जस्टिस अरिजीत पसायत एवं एल0 एस0 पान्टा ने देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के बिल पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि 1931 की जनगणना को आरक्षण का आधार नहीं बनाया जा सकता ।

2007 **मार्च 30 :** तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम0 करुणानिधि ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उपराष्ट्रपति भैरवसिंह शेखावत, लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी से दोनों सदनों को आहुत करने का निवेदन किया ताकि आगामी शिक्षा सत्र से आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके।

2007 **अप्रैल 24 :** तमिलनाडु विधानसभा में बहस के दौरान राज्य के सभी राजनैतिक दलों ने सरकार से शीर्ष शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को लागु करने के सन्दर्भ में तत्काल प्रभावी कदम उठाने की जोरदार मांग की और केन्द्र को चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर वंचित वर्गों के लोगों का आक्रोश फट सकता है। केन्द्र सरकार को इस स्थिति से बचना चाहिए। आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए रोक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि एक या दो व्यक्तियों का 100 करोड़ आबादी के लिए इस तरह का निर्णय प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है।

2007 **अप्रैल 24 :** सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक न्याय-पीठ से संपर्क साधा तथा मुख्य न्यायाधीश ने अगस्त के तीसरे सप्ताह में अनुसूचित सुनवाई के स्थान पर 8 अप्रैल को सुनवाई का आदेश दिया।

2007 **अप्रैल 24 :** ओ.बी.सी. को 27 प्रतिशत कोटा प्रदान करने वाले कानून की संवैधानिक वैधानिकता के सरकार के तर्क को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल के बजाये 8 मई को सुनवाई की तिथि नियत की। जबकि आई.आई.एम.एस. में प्रवेश पर असमंजस अभी भी बरकरार है।

2007 **अप्रैल 25 :** आई.आई.एम. के मुद्दे पर मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने प्रधान मंत्री से भेंट की! उच्च क्रेन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में ओ.बी.सी. के 27 प्रतिशत कोटे पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए गये स्थगन को हटाने के लिए विभिन्न कानूनी विकल्पों पर चर्चा के लिए मा.सं.वि.मंत्री अर्जुन सिंह एवं उनके सहयोगियों के बीच गोपनीय सलाह मशविरा हुआ.

2007 **अप्रैल 26 :** आई.आई.एम.एस. बगंलूर के संस्थापक निदेशक ने आई.आई.एम.एस. को स्वेच्छा से ओ.बी.सी. छात्रों को प्रवेश के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट एवं सरकार के बीच उसी शैक्षणिक वर्ष आई.आई.एम.एस. में ओ.बी.सी. को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर जारी टकराव के कारण समाधान में विलम्ब के मद्दे नजर आई.आई.एम.एस. बगंलूर के संस्थापक निदेशक एम.एस. रामास्वामी ने कहा कि बड़े प्रबंधक संस्थानों को स्वेच्छा से इसी वर्ष ओ.बी.सी. छात्रों को प्रवेश देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य कोटि के सीटों पर इसका प्रभाव नहीं पड़े। चूंकि जब उच्चतम न्यायालय ने स्थगन रोक हटाने से मना कर दिया है, ऐसे में आई.आई.एम.एस. को स्वेच्छा से ओबीसी छात्रों का दाखिला लेना चाहिए। 27 प्रतिशत ओबीसी छात्रों के दाखिले के लिए प्रत्येक आई.आई.एम.एस. को मात्र 60 सीटें बढ़ाने की आवश्यकता है, मात्र एक अतिरित्त क्लासरुम बनाने से बढ़ी हुई संख्या को समायोजित किया जा सकता है और ये कक्षाएँ भी चरण बद्ध तरीके से चलाई जा सकती हैं। उपरोक्त बातें श्री रामास्वामी ने कहा और उन्होंने मा.सं.वि.म. को भी अपने विचारों से अवगत करा दिया है।

प्रबंधन हेतु नियुक्त राष्ट्रीय अनुसंधान प्राध्यापक श्री रामास्वामी ने सलाह दिया कि अध्यापन सदस्यों द्वारा थोड़ा सा अतिरिक श्रम अध्यापकों की कमी की समस्या को हल कर सकता है। अतिथि अध्यापक जो पहले से ही एम्स में जाते रहे हैं उनमें से आवश्यक अध्यापकों की सेवाएँ ली जा सकती है, जिसके लिए उन्हें देय वेतन के अतिरिक्त भुगतान किया जा सकता है। ऐसे अच्छे सहयोग का ओबीसी

छात्रों,मा.सं.वि.म., एस.सी. एम्स एवं देश के समान्य जनों द्वारा स्वागत किया जायेगा।

2007 **जुलाई 16 :** उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ओ.बी.सी. के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन पर लगे रोक को हटाने के लिए केन्द्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायलय में एक आवेदन पत्र दिया. उक्त आवेदन पत्र को मुख्य न्यायाधीश के.जी. बाला कृष्णा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसने मंगलवार को सुनवाई के लिए निर्णय लिया। उस सभा में प्रणव मुखर्जी लालू प्रसाद, टी.आर.बालू, शिवराज पाटिल एवं सुशील कुमार शिंदे जैसे वरिष्ठ मंत्री शामिल थे।

2008 **अप्रैल 10 :** उच्चतम न्यायालय ने ओ.बी.सी. के लिए 27 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए हामी भरी। गुरुवार को आरक्षण को एक जबर्दस्त प्रोत्साहन मिला जब उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी का आई.आई.टी., एम्स एवं अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत हिस्सेदारी हेतु कानूनी प्रावधानार्थ संविधान में संशोधन की सहमति प्रदान की। किंतु क्रीमीलेयर को इस लाभ से वंचित रखा। पांच न्यायाधीशों की संविधान -पीठ ने कोटे हेतु केन्द्रीय शिक्षण संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) कानून-2006 का प्रावधान सर्वसम्मत निर्णय से किया। मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली न्यायपीठ ने ओबीसी के अंतर्गत क्रीमी लेकर को उक्त कोटे के लाभ से वंचित रखा।

2008 **अप्रैल 26 :** बुधवार को 7 आई.आई.टी. ने क्रमिक रुप से तीन वर्षों में 27 प्रतिशत ओबीसी कोटे के कार्यान्वयन का निर्णय लिया जिसके अतंर्गत उन संस्थानों ने आगामी शैक्षणिक सत्र में पात्र अम्यर्थियों के लिए 9 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया। उक्त निर्णय आई.आई.टी के निदेशकों की एक सभा में लिया गया जो कि पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय द्वारा ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत हिस्सेदारी हेतु मार्ग प्रशस्त करने के आलोक में लिया गया कदम था।

9 प्रतिशत स्थान इस वर्ष ओबीसी के लिए आरक्षित किये जायेंगे और आगामी दूसरे और तीसरे वर्ष भी इसी दर से स्थानों का आरक्षण सुनिश्चित होगा।

इन आई.आई.टी. ने अगले शैक्षणिक सत्र में 13 प्रतिशत सीटों की बढ़ोतरी का निर्णय भी लिया ताकि ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण मिल सके।

वर्तमान में सातों आई.आई.टी. खड़गपुर, मुम्बई, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी एवं रुड़की में कोई चार हजार सीटें उपलब्ध है।

2008 **अप्रैल 17 :** ओ.बी.सी. के कोटे के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में सरकार ने भी अपना कदम आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राजनैतिक मामलों की मंत्रालय समिति की एक सभा में उक्त निर्णय लिया गया. मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने समिति के समक्ष उच्चतम न्यायालय के निर्णय को प्रस्तुत किया जिसमें ओबीसी कोटे में से क्रीमीलेयर को बाहर रखा गया है।

2008 **अप्रैल 17 :** एम्स ने इसी वर्ष ओबीसी कोटे को कार्यान्वित करने का विचार किया।

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित चिकित्सीय संस्थानों में ओबीसी के लिये 27 प्रतिशत कोटे को दो वर्षो की समयावधि में लागू कर दिया जायेगा। 18 प्रतिशत स्थान इसी शैक्षणिक सत्र में ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षित हो जायेगा।

यह निर्णय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अंबुमणि रामदास के साथ सभी संस्थानों के प्रमुखों की एक सभा में नई दिल्ली में लिया गया।

2008 **अप्रैल 20 :** सरकार ने आई.आई.टी. एवं एम्स को ओबीसी कोटा लागू करने के लिए कहा।

रविवार को सरकार ने आई.आई.एम. एवं आई.आई.टी. सहित केन्द्रीय वित्त संचालित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इसी वर्ष से ओबीसी आरक्षण कार्यान्वित करने का निर्देश दिया।

कविता

रवीन्द्रनाथ टैगोर

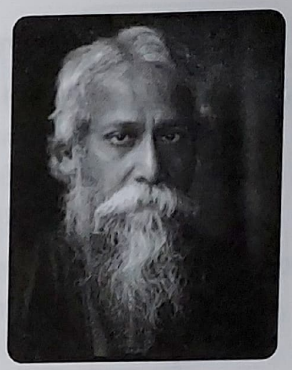

THE GREAT EQUALITY

Proud Casteman of my unfortunate country !
Throw aside your pride of caste-
Lest on your own unwilling head
Should be heaped the burning insults
That you now shower on others
You have deprived the outcasts
Of the common rights of man
With your very eyes
You have beheld their misery,
And yet have you refused to take them to your heart-
But remember, please do remember :
-Some day you shall have to be
The equal of them all in ignominy.

By contemptuously shunning
The touch of your fellow men
You have insulted the Lord of Creation
And as a punishment from on high,
You shall have to shre their crumbs
At times of famine and starvation
But remember, please do remember
-Some day you shall have to be
The equal of them all in ignominy.

You have stifled your own power
When you pushed aside your brothers,
And trampled them under your haughty feet
But you never, never can be saved
Until you have fully abased yourself
To their state of inglorious existence
But remember, please do remember
-Some day you shall have to be
They equal of them all in ignominy.

Proud casteman of my unfortunate country !
They whom you so joyously trample under your feet
Will drag you down to the spot
Where they lie humbled today ;

They to whom you deny advancement
Themselves shall block your progress
They whom you are forcibly holding
In the darkness of ignorance,
Have already menaced your welfare
By the enormity of the abysmal darkness
Of their own colossal ignorance
But remember, please do remember :
-Some day you shall have to be
The equal of them all in ignominy.

For centuries you have humiliated
These children of God
By the impudence of your pride of caste;
And you still fail to bow low
To the Divinity that is in them.
Why do you not bend your head,
And open your eyes to see
The God of the poor and the helpless
Dwelling in the dust where grovels
The victims of your suicidal pride
But remember, please do remember
-Some day you shall have to be
The equal of them all in ignominy.

Proud casteman of my unfortunate country!
Can you not see the messenger of death
Standing before your door ?
Can you not hear the curses
He mutters on your sinful pride of caste,
And your criminal arrogance of class ?
If you still cannot embrace
All with love,
Then step aside, do step aside,
And cover yourself tight

With the blankets of your pompous pride
But remember, please do remember :
-After death you shall have to be
The equal of them all
In the ultimate ashes of your body.

दिनेश कुशवाह

ईश्वर के पीछे

(स्टीफन हाकिंग के लिए)

ईश्वर के अदृश्य होने के अनेक लाभ हैं
इसका सबसे अधिक फायदा
वे लोग उठाते हैं
जो लोग हर घड़ी यह प्रचारित करते रहते हैं
कि ईश्वर हर जगह और हर वस्तु में है।
इससे सबसे अधिक ठगे जाते हैं वे लोग

जो लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि
भगवान हर जगह है और,
सब कुछ देख रहा है।

बुद्ध के इतने दिनों बाद
अब यह बहस बेमानी है कि
ईश्वर है या नहीं है
अगर है भी तो उसके होने से
दुनिया की बदहाली पर
तब से आज तक
कोई फर्क नहीं पड़ा।

यों उसके हाथ बहुत लम्बे हैं
वह बिना पैर हमारे बीच चला आता है
उसकी लाठी में आवाज नहीं होती
अंधे की लकड़ी के नाम पर
वह बंदों के हाथ में लाठी थमा जाता है
और ईश्वर के नाम पर
धर्म युद्ध की दुहाई देते हैं
बुश से लेकर लादेन तक।

ईश्वर की सबसे बड़ी खामी यह है कि
वह समर्थ लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता
समान रुप से सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान
प्रभु प्रेम से प्रकट होता है पर
घिनौने बलात्कारियों के आड़े नहीं आता
आपनी झूठी कसमें खाने वालों को वह
लूला-लंगड़ा-अंधा नहीं बनाता
आदिकाल से अपने नाम पर
ऊँच-नीच बनाकर रखने वालों को
सन्मति नहीं देता
उसके आस-पास
नेताओं की तरह धूर्त
छली और पाखण्डी लोगों की भीड़ जमा है।

यह अपार समुद्र
जिसकी कृपा का बिन्दु मात्र है
उस दयासागर की असीम कृपा से
मजे में हैं सारे अत्याचारी
दीनानाथ की दुनिया में
कीड़े-मकोड़ों की तरह
जी रहे हैं गरीब ।

ईश्वर के अदृश्य होने के अनेक लाभ हैं
जैसे कोई उस पर जूता नहीं फेंकता
भृगु की तरह लात मारने का सवाल ही नहीं
उस पर कोई झुंझलाता तक नहीं
बल्कि लोग मुग्ध होते हैं कि
क्षीरसागर में लेटे-लेटे कैसी अपरम्पार
लीलाएं करता है जगत का तारनहार
दंगा-बाढ़ या सूखा के राहत शिविरों में गये बिना
मंद-मंद मुस्कुराता हुआ
हजरत बल और अयोध्या में
देखता रहता है अपनी लीला।

उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता
सारे शुभ-अशुभ, भले-बुरे कार्य
भगवान की मर्जी से होते हैं
पर कोई प्रश्न नहीं उठाता कि
यह कौन-सी खिचड़ी पकाते हो दयानिधान?
चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी
तुम्हारे न्याय में देर नहीं, अंधेर ही अंधेर है कृपा सिन्धु।

ईश्वर के पीछे मजा मार रही है
झूठों की एक लम्बी जमात
एक सनातन व्यवसाय है
ईश्वर का कारोबार।

महाविलास और भूखमरी के कगार पर
एक ही साथ खड़ी दुनिया में
आज भले न हो कोई नीत्से
यह कहने का समय आ गया है कि
आदमी अपना खयाल खुद रखे।

चन्द्रजीत यादव

आरक्षण विरोधी मण्डल आयोग का नहीं बल्कि आरक्षण नीति का विरोध कर रहे हैं।

भाईयों और बहनों,

गत 7अगस्त को प्रधानमंत्री ने संसद में एक बयान देकर बी0 पी0 मण्डल पिछड़ा वर्ग आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश को स्वीकार करने की घोषणा की। उसके अनुसार केन्द्र सरकार की नौकरियों में और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में सामाजिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़े लोगों को 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये है। इस घोषणा का समाज के दलित और पिछड़े वर्गो ने हृदय से स्वागत किया है। किन्तु दुर्भाग्य से समाज के उच्च वर्ग के लोग इस घोषणा का न केवल विरोध कर रहे है बल्कि वे हिंसा और तोड़फोड़ पर उतारु हो गये है। सार्वजनिक सम्पति को क्षति पहुंचा रहे है। संगठित होकर अव्यवस्था पैदा कर रहे है। लाखों विद्यार्थियों का स्कूल जाना असम्भव हो गया है, विशेष रुप से उत्तर भारत में कुछ नगरों में उन्होंने यह स्थिति पैदा कर रखी है।

हमारे देश के संविधान निर्माता और हमारे राष्ट्रीय नेता इस बात से भली-भाँति परिचित थे कि हमारे देश का विशाल बहुमत सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक रुप से कमजोर और पिछड़ा हुआ है। उसके लिए विशेष योजनाओं के माध्यम से और उसकी सहायता करके उसके उत्थान की आवश्यकता है। उनका उत्थान एक राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। जब तक देश का विशाल बहुमत कमजोर और शोषित व पिछड़ा रहेगा तब तक देश भी मजबूत और आधुनिक नहीं बन सकता। इस स्थिति को ध्यान में रखकर ही सर्वसम्मति से भारतीय संविधान में आरक्षण नीति की व्यवस्था की गयी थी। उसके अनुसार हमारे देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के भाइयों और बहनों को संसद और विधानमण्डलों में तथा देश की सरकारी नौकरियों में, उनकी संख्या के अनुसार आरक्षण दिया गया है। यदि इन्हें यह आरक्षण नहीं दिया गया होता तो भारतीय समाज की जैसी स्थिति है उसमें संसद और विधान मंडलों में भी उनका कदाचित ही प्रतिनिधित्व हो पाता। देश के लिए सामाजिक आर्थिक नीतियों के बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में उनकी न तो कोई आवाज होती और नहीं कोई हिस्सेदारी। उनके आरक्षण ने उन्हें कुछ हद तक यह अवसर प्रदान किया है। समाज और देश में उनका सम्मान बढ़ा है। उनमें आत्मविश्वास की भावना मजबूत हुई है और प्रशासन में उनके प्रतिनिधियों ने उनके अधिकार और सम्मान के लिए आवाज उठायी है। यद्दपि यह भी सच्चाई है कि इन तमाम कदमों के वावजूद आज भी वह समाज के सबसे निर्वल वर्ग बने हुए है। देश के उद्योग धन्धें, भूमि व्यवस्था, प्रशासन, व्यापार में उनकी हिस्सेदारी नाममात्र को है। आज भी उनका विशाल बहुमत समाज का सबसे गरीब वर्ग है।

हमारे देश के राष्ट्रीय नेता और संविधान निर्माता इस बात को भी जानते थे कि हमारे देश में सामाजिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्गों की आबादी देश की कुल आबादी के आधे से अधिक है। और यह वर्ग जो हजारों जातियों में बँटे हुए है, यह काफी गरीब और निर्बल है। उनके लिए भी विशेष सुविधाएँ देने की आवश्यकता समझी गयी और इसीलिए संविधान की धारा 340(1), धारा15 (4), 16 (4) में जहाँ एक तरफ उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कदम उठाने की जरुरत पर जोर दिया गया है वही सत्ता और प्रशासन में उनको उचित भागीदारी देने का प्राविधान किया गया।

किन्तु उनके साथ अन्याय हुआ कि संविधान के लागू होने के चालीस वर्षो के बाद भी सामजिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्गो को केन्द्रीय सरकार की नीतियों में आरक्षण नहीं दिया गया। यह सर्वविदित है कि देश के प्रशासन में सबसे अधिक प्रभुत्व आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 और केन्द्र सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का ही है। यही जिला प्रशासन का प्रधान होता है, पुलिस का प्रधान होता है और जितने प्रमुख विभाग होते है, यहाँ तक कि वैज्ञानिक, तकनीकी, स्वास्थ्य, उद्योग धंधों से संबंध रखने वाले संस्थानों और संगठनों के प्रधान भी आई0ए0एस0 ही बनाये जाते हैं। इतनी शक्तिशाली नौकरशाही दुनिया के किसी देश में नहीं है जितनी भारत में है। उनकी निगाह में मंत्री भी अस्थाई मजदूरों की हैसियत रखता है जो आते-जाते और बदलते रहते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान का यह नौकरशाह बड़ी शान के साथ कहता है कि वही इस देश का सही प्रशासक है और वह इतना अधिकार संपन्न है कि न तो मंत्री उसका कुछ बिगाड़ सकता है और न ही हिन्दुस्तान की अदालत उसकी कुर्सी को हिला सकती है।

इस आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 वर्ग के सर्वोच्च अधिकार संपन्न वर्गों में पिछड़े वर्गों की क्या स्थिति है? 52 प्रतिशत आबादी वाले पिछड़े वर्गों का उसमें 4 प्रतिशत से भी कम हिस्सा है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को तो 40 वर्षों से आरक्षण प्राप्त होने के बाद भी उनको 25 प्रतिशत हिस्से के मुकाबले में प्रथम श्रेणी की नौकरियों में अभी तक केवल 8 प्रतिशत हिस्सा मिल पाया है। देश के अल्पसंख्यकों की स्थिति और भी दयीनय है।

उदाहरण के लिए मुसलमान, जिनकी आबादी हमारे देश में 11

प्रतिशत के आसपास है, उनकी हिस्सेदारी लगभग 1 प्रतिशत है। ऐसा क्यों? क्या इन वर्गों के युवकों और युवत्तियों में बुद्धि का अभाव है? योग्यता की कमी है? नहीं, सच्चाई यह है कि इन्हें हजारों वर्षों से जानबूझकर पिछड़ा रखा गया, शिक्षा के अवसर नहीं दिये गये, गरीबी इन्हीं के हिस्से में डाल दी गई। और आज यदि इनके युवक और युवतियाँ पढ़-लिखकर निकल रहे हैं, तो जिन लोगों का सरकारी नौकरियों पर कब्जा है, उन्होंने जानबूझकर दूसरों के लिए दरवाजे बन्द कर रखे हैं। वे कायदे कानून ऐसे बनाएंगे, नियमों में इस तरह से परिवर्तन करेंगे और अपनी जातीय भावना से इतने ग्रसित होकर काम करेंगे कि इन वर्गों के लोगों को वह प्रशासन में घुसने ही नहीं देंगे। वह हर तरह के कल-छल -तिकड़म झूठा प्रचार करने में समर्थ हैं। लोगों को भ्रम में डालने की कला उन्हें खूब आती है। दूसरी तरफ पिछड़े वर्गों और निर्बल वर्गों के लोग असंगठित हैं, आत्मविश्वास की कमी है, आर्थिक रुप से कमजोर हैं और दूसरों से भयभीत हैं। इसी का लाभ उठाकर आरक्षण विरोधी, सामाजिक न्याय के इस महत्त्वपूर्ण कदम को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

पिछले वर्षों में जब कभी भी आरक्षण विरोधी आन्दोलन चला है ओर इस समय खासतौर से मण्डल आयोग की केवल सिफारिश को मानने के बाद चलाया जा रहा है, उसने आरक्षण विरोधियों के चेहरे से नकाब उठा दिया है। उनके सारे तर्क, उनकी सारी शक्ति आरक्षण नीति के विरोध में इस्तेमाल हो रही है। उनका हमला इस बात पर है कि 40 वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने से प्रशासन का स्तर नीचे गिरा है, प्रशासन की मान-मर्यादा कम हुई है। सरकारी अधिकारियों का मनोबल टूटा है और देश विनाश के रास्ते पर जा रहा है। जातिवाद बढ़ रहा है और राष्ट्रीय एकता टूट रही है। प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, उनके सारे तर्क केवल इस बात को सिद्ध करने में है कि देश की सारी बुराइयों की जड़ आरक्षण है, निराधार बातों और झुठ का सहारा लेकर वह आरक्षण नीति को समाप्त करने पर लगे हुए हैं।

आरक्षण विरोधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों का उत्थान बर्दाश्त नहीं है। उनके मन में अब यह भय समा गया है कि यदि पिछड़े वर्गों को भी 27 प्रतिशत आरक्षण मिल गया तो इन वर्गों के लोगों का प्रशासन में प्रभाव बढ़ेगा, नीतियों के बनाने में और उन्हें संचालन करने में यह अपने वर्गों के लिए आवाज उठाएंगे और उससे उन निहित स्वार्थी वर्गों का लाभ, उनकी लूट और उनका प्रभाव कम हो जाएगा। सत्ता में समाज के निर्बल और पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़े, यह बात उन्हें बर्दाश्त नहीं है।

इसलिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक भाईयों, बहनों, नौजवानों और छात्रों से और इसी के साथ-साथ उच्च वर्ग के उन भाईयों और बहनों से जो निर्बल वर्गों को सामाजिक न्याय देने के पक्ष में है जो भारत में समतावादी समाज जरुरी समझते है, उनसे मेरी अपील है कि वह आरक्षण विरोधियों को अलग-अलग करके अपने राष्ट्रीय सामाजिक कर्त्तव्य को पूरा करें। आरक्षण समर्थन में, देश भर में शांतिपूर्वक ढंग से सभाएं, सम्मेलन, विचार गोष्ठिया करें और एकताबद्ध तरीके से इस बात का ऐलान करके कह दें कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक देश के वर्तमान नौकरशाही ढांचे को नहीं बदल देगें। जब तक सत्ता में अपनी पूरी हिस्सेदारी नहीं हासिल कर लेंगे, जब तक देश के कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी सामाजिक न्याय नहीं दिला देंगे।

हमारी यह लड़ाई किसी जाति और वर्ग के विरुद्ध नहीं है। हमारी लड़ाई निर्बल वर्गों के सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। यह राष्ट्रीय लड़ाई है। अगर देश को मजबूत, आधुनिक और सम्पन्न बनाना है तो देश की सत्ता और सम्पति से 90 प्रतिशत लोगों को बाहर रखकर देश को मजबूत और खुशहाल नहीं बनाया जा सकता। हमें इस लड़ाई को यह समझकर लड़ना चाहिए कि यह हमारी आजादी की दूसरी लड़ाई है। इस लड़ाई को भी हमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरु, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, रामा स्वामी पेरियार, महात्मा फूले, गुरु श्री नारायण, डा0 लोहिया आदि नेताओं के दिखाये गये रास्ते पर चलकर ही लड़ना है

★★★

(पूर्व केन्द्रीय मंत्री, अध्यक्ष-सामाजिक न्याय संस्थान, माननीय चन्द्रजीत यादव, भारत में सामाजिक न्याय के अग्रदूत के रुप में सक्रिय आन्दोलनों से जुड़े रहे एवं जीवन पर्यन्त सामाजिक समता के लिए संघर्षशील युवाओं को दिशा देते रहे। पेरियार इंटरनेशनल की स्थापना शिकागो में 13 नवम्बर 1994 को हुई थी। जिसका उद्घाटन स्वर्गीय चन्द्रजीत यादव ने द्रविण कजगम के अध्यक्ष माननीय श्री के0 वीरामणि की उपस्थिति में किया था)

आई0ए0एस0 सम्मान समारोह : 2012, चेन्नई

यूपीएससी-2011 में ओबीसी, एससी एवं एसटी के सफल आई.ए.एस./आई.पी.एस/आई.आर.एस. एवं अन्य कैडर हेतु चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह चेन्नई में 10 अगस्त 2012 को आयोजित किया गया।

सम्मान समारोह पी0 ओबुल रेड्डी हॉल, वाणी महल, त्यागराज नगर, चेन्नई में आयोजित किया गया। समारोह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ओबीसी कर्मचारी कल्याण संघ, तमिलनाडु एवं सामाजिक संगठन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 16 सफल प्रतिभागियों ने भाग लिया। गणमान्य अतिथियों में द्रविड़ कजगम के महासचिव श्री कविग्नार काली पुंगुंद्रन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री एस0 के0 भार्गव, उप महाप्रबंधक श्री देवज्योति गुप्ता, सहायक महाप्रबंधक निशिष मोबार उपस्थित थे, जिन्होंने सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। फेडरेशन के अध्यक्ष श्री पार्थसारथी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, महासचिव श्री जी0 करुणानिधि के संगठन की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ की सचिव श्रीमति जी0 मलारकोडी ने उपस्थित सभी व्यक्तियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। संगठन के उप महामंत्री श्री एस0 सेकरन ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

श्रद्धाजंलि-सभा

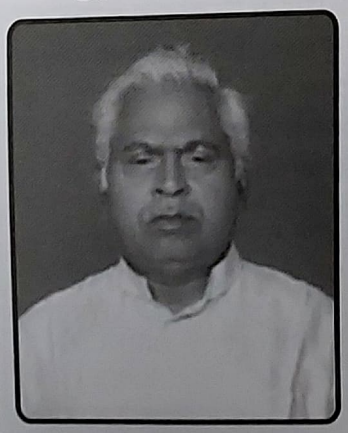

अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी के नव निर्मित जन नाट्यशाला के सभागार में प्रो0 चौथीराम यादव की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ, इप्टा, एप्सो, अदबी संगम और साहित्य सर्जना मंच के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की ओर से चिंतक, पत्रकार एवं बुद्ध संकेत के संपादक भाई संगमलाल जी की स्मृति में सामूहिक शोक सभा दिनांक 11.06.2012 को सायंकाल छः बजे आयोजित की गयी। सभा के अध्यक्ष प्रो0 चौथीराम यादव उन्हें याद करते हुए काफी भावुक हो उठे। उनके लम्बे उद्‌बोधन में कई बार उनका गला रुँध गया। उनके मार्मिक वक्तव्य से सारा सभागार भावुक एवं मर्माहत हो गया । प्रो0 यादव ने यह इच्छा व्यक्त किया कि उनकी याद को अक्षुण्ण रखने के लिए कुछ स्थायी उपाय किया जाना चाहिए। मुख्य अतिथि के रुप में बोलते हुए प्रख्यात दलित कवि, कथाकार जवाहर लाल कौल 'व्यग्र' भी कम भावुक नहीं थे। सभा का संचालन प्रलेस के प्रान्तीय महामंत्री डॉ0 संजय श्रीवास्तव एवं धन्यवाद ज्ञापन अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी के प्रबन्धक एवं इप्टा के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक आनन्द ने किया। इस अवसर पर प्रलेस के जिलाध्यक्ष डॉ0 गोरख, सचिव दानिश, इप्टा के मंत्री देव, अदबी संगम के मंत्री अलकबीर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के डॉ0 एम0पी0 अहिरवार, डॉ0 राहुल राज, मूलचन्द सोनकर ने भी अपने विचार रखे।

-अशोक आनन्द
संपादक

लेख

अशोक यादव

मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू करने की घोषणा के बाईस वर्ष (07 अगस्त 1990-07 अगस्त 2012) 07 अगस्त को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय दिवस घोषित करो

07 अगस्त, 1990 न केवल समकालीन इतिहास बल्कि देश के तीन हजार सालों के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण दिन है। यह दिन 15 अगस्त 1947 से भी ज्यादा मायने रखता है। भारत के तीन हज़ार सालों का इतिहास विदेशी गुलामियों का इतिहास रहा है। एक विदेशी शासन के बाद दूसरा विदेशी शासन आया किन्तु भारत की सामाजिक व्यवस्था परिवर्तनहीन रहा। 15 अगस्त,1947 को देश आज़ाद जरुर हुआ किन्तु देश की नब्बे प्रतिशत दलित-पिछड़ी और आदिवासी जनता को इससे कुछ खास नहीं मिला। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक शोषण में कोई कमी नहीं आइ। सामाजिक न्याय और परिवर्तन का एजेंडा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज़ नहीं सुना पाता था। 07 अगस्त, 1990 को प्रधान मंत्री वी.पी. सिंह ने जैसे ही देश की संसद में मंडल आयोग की मात्र एक अनुशंसा, केन्द्र सरकार की नौकरियों में शूद्र जातियों को सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था, को लागू करने की घोषणा किया तो जैसे एक झटके में सामाजिक न्याय और परिवर्तन का एजेंडा राष्ट्रीय फलक पर छा गया।

दलितों-आदिवासियों के लिए आरक्षण 1947 के पहले से मौजूद है। किन्तु इनकी आबादी कम होने के चलते इनके लिए आरक्षण सामाजिक न्याय और परिवर्तन के एजेंडा का राष्ट्रीय स्तर पर ला पाने में अक्षम था।परिमाण किसी वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन लाता है। जब 1990 में मंडल के माध्यम से देश की बावन प्रतिशत आबादी को आरक्षण की परिधि में लाया गया तो तीनों आरक्षित श्रेणियों को मिलाकर 1931 की जनगणना के अनुसार लगभग 75 प्रतिशत से अधिक आबादी आरक्षण की परिधि में आ गयी। इसके चलते सामाजिक न्याय और परिवर्तन का एजेंडा राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में आ गया।

बीसवीं सदी के भारत का इतिहास आरक्षण के समर्थक और विरोधी शक्तियों के बीच संघर्षों का इतिहास है। जाति व्यवस्था जो सत्ता, संपत्ति और सम्मान पर मुट्ठी भर जातियों के एकाधिकार पर टिका हुआ है को खत्म करने के लिए एक कारगार उपाय के रुप में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने का काम सबसे पहले 1902 में महाराष्ट्र में कोल्हापुर रियासत के राजा शाहू जी महाराज ने किया था। इसके बाद इसे मद्रास प्रेसीडेंसी में जस्टिस पार्टी की ब्रिटिशकालीन सरकार और आगे चलकर पूरे देश में अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग समय पर सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण लागू किया। जहाँ कहीं भी आरक्षण लागू हुआ वहाँ सामाजिक एकाधिकारवादी ग्रूपों द्वारा विधान सभा, संसद और सड़क से लेकर कानून की अदालतों में इसका जोरदार विरोध किये जाने के बावजूद भारत की न्यायपालिका ने हर हमेशा जाति आधारित आरक्षण को संविधान सम्मत घोषित किया। आरक्षण के मोर्चे पर विरोधियों की हमेशा हार हुई है और हम हमेशा जीतते आये हैं। इसी बिंदु पर फैज़ अहमद फैज़ की पंक्ति कथा आती हैः यूं ही हमने हमेशा खिलाए हैं आग में फूल, न उनकी हार नयी है, न हमारी जीत नयी। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें आरक्षण के कारवाँ को रोकने में कोई सफलता नहीं मिली है। ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेएर लागू होना उनकी ऐसी ही एक सफलता है।

आरक्षण ने सत्ता, संपत्ति और सम्मान पर चंद जातियों के एकाधिकार को तोड़कर इसके दलित, आदिवासी, आति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को पैदा किया है। इससे भारतीय समाज और राजनीति (शासन और प्रशासन) के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को बल मिला है। कुछ लोग आरक्षण को गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा दूर करने का उपाय समझते हैं जो आरक्षण के सिद्धांत का अतिसरलीकरण है। आरक्षण की ऐसी व्याख्या जान-बूझकर की जाती है ताकि क्रीमी लेएर की अवधारणा को सही ठहराया और आर्थिक आधार पर आरक्षण का मार्ग प्रशस्त कर जाति आधारित आरक्षण को खत्म किया जा सके। आरक्षण यदि गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा दूर करने का उपाय होता तो राज्य और केन्द्र सरकार की गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा उन्मूलन की ढेरों योजनाओं और आरक्षण में कोई अंतर नहीं रहता और तब आरक्षण सरकारी योजनाओं की तरह सर्वमान्य अवधारणा होता। किन्तु आरक्षण कभी भी सर्वमान्य आवधारण नहीं है। यह सामाजिक एकाधिकारवादी ग्रूपों का सतत विरोध झेलता है। आरक्षण ने जाति व्यवस्था को किसी भी अन्य आंदोलन की तुलना में ज्यादा नुकसान पहुँचाकर समता की अवधारणा को मजबूत किया है। आज यदि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए तो भारतीय समाज एक झटके में सौ साल पीछे चला जाएगा जब दलित अपने कमर में झाड़ू बाँध कर चलते थे, आदिवासी नगर सभ्यता से दूर रहते थे और शूद्र जातियाँ प्रताड़ना

और वंचना की शिकार थी। एक आधुनिक और लोकतांत्रिक देश के रुप में भारत की आज जो पहचान बनी है उसके कई कारक (पब्लिक सेक्टर, फ्री प्रेस, संसदीय लोकतंत्र, विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता, कानून और संविधान की प्रतिष्ठ आदि) हैं जिसमें आरक्षण का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। आरक्षण के चलते दलित, आदिवासी, अति पिछड़ी, पिछड़ी जातियों में एक मध्यम वर्ग तैयार हुआ है जिसके चलते सीमित संख्या के सवर्ण मध्यम वर्ग के बाहर भारतीय बाजार का विस्तारीकरण हुआ है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूती मिली है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिस्पर्धा भी कर रहा है। यही कारण है कि सामाजिक एकाधिकारवादी ग्रूपों से आने वाले उदारवादी और दूरदृष्टिसम्पन्न बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों और न्यायाधीशों ने जाति आधारित आरक्षण को मान्यता प्रदान किया है।

आज भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से संकटग्रस्त हो रही है. इसकी तरह-तरह की व्याख्याएं आ रही हैं जिनसे हमारा तो वैसे कोई मतभेद नहीं है किन्तु इस आधार-पत्र के माध्यम से हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संकटग्रस्त होने की अपनी व्याख्या संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था तभी लंबे समय तक मजबूत बनी रहती है जब बाजार में मांग भी बनी रहती है. भारत सरकार और राज्य सरकारें जब तक देश की अस्सी प्रतिशत आबादी, जो दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की है, को गरीबी, पिछडापन और अशिक्षा से उबारने के लिए ठोस मेगा योजना तैयार नहीं करती है तब तक अर्थव्यवस्था की गति को दीर्घ काल तक सस्टेन करने के लिए मांग पैदा नहीं किया जा सकता है। इसके बगैर सरकार चाहे जो वित्तीय उपाय कर ले अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर नहीं आ सकती है। आरक्षण सामाजिक न्याय का एक उपाय है किन्तु यह आर्थिक न्याय के बगैर अधूरा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. संसार की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कामयाबी का कारण रहा है कि वहाँ के शासक वर्गों ने अपने देश के लोगों की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर कर आर्थिक तरक्की का मार्ग प्रशस्त किया। भारत का शासक वर्ग देश की बहुसंख्यक जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की स्थिति में सतत रखकर सीमित सवर्ण मध्यम वर्ग से बने बाजार के आधार पर भारत को महान बनाने का सपना देखता है जो असंभव है।

आजादी के बाद देश की प्रशासनिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आजादी के पैंसठ सालों के बाद भी भारत में औपनिवेशिक काल में तैयार किया गया प्रशासनिक ढांचा चल रहा है जो देश के लोकतांत्रिक ढांचा के प्रतिकूल है। प्रशासनिक तंत्र में सामाजिक एकाधिकार प्रशासन को अलोकतांत्रिक, असहिष्णु, भ्रष्ट, अयोग्य, अक्षम, पक्षपाती तथा जनता के लोकतांत्रिक संघर्षों के प्रति असहिष्णु बनाता है, जनता से दूर करता है। प्रशासन तंत्र के विभिन्न स्तरों एवं अंगों में जब खास सामाजिक समूहों का एकाधिकार होता है तो अधिकारियों और कर्मचारियों के दिमाग मे बात घर कर जाती है कि वे कुछ भी करें उनका बाल बांका नहीं होगा। तरक्की का आधार तब कर्मठता, ईमानदारी और कार्यकुशलता नहीं होकर जाति संबंध हो जाता है। ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जनता पर अकथनीय कष्ट लादती है, उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकार कानून व्यवस्था का हवाला देकर कुचला जाता है। नौकरशाही तब मालिकशाही में बदल जाता है।

आरक्षण के माध्यम से समाज के पीछे छूट चुके सामाजिक जमातों से आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के चलते प्रशासन अपने मौजूदा औपनिवेशिक ढाँचे में भी आम अवाम के ज्यादा नजदीक पहुँचा है। आरक्षण के चलते जब दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियों के युवक-युवति प्रशासन तंत्र की जिम्मेदारी सम्हालते हैं तो प्रशासन तंत्र ज्यादा लोकतांत्रिक चरित्र ग्रहण करता है, जनता के जनतांत्रिक संघर्षों के लिए परिस्थितियाँ ज्यादा अनुकूल बनती हैं तथा जनता के संघर्षों के प्रति प्रशासन का दमनात्मक चरित्र कमजोर पड़ता है। आरक्षण प्रशासन तंत्र में सामाजिक एकाधिकार को तोड़कर इसे सामाजिक संरचना के अनुरुप तथा ज्यादा खुला, उन्मुक्त, भागीदारीपूर्ण (उवतम वचमदए उवतम तिममए उवतम चंतजपबपचंजवतल दक उवतम तमचतमेमदजंजपअमद्ध) बनाने का एक कारगार औजार है। आरक्षण के तमाम जनपक्षीय उपलब्धियों के बावजूद हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि नौकरशाही और आम जनता के बीच दूरी आज भी कायम है। इसके दो कारण प्रतीत होते हैंः (प) देश और राज्यों के शासन-प्रशासन की बगडोर केन्द्र सरकार द्वारा चयनित और नियुक्त ग्रुप ए अधिकारियों के हाथ में होती है, केन्द्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण के देर से लागू होने और लागू होने के बाद उसके कार्यान्वयन में आरक्षरण विरोधियों द्वारा तमाम तरह की बाधा खड़ी करने से आरक्षित वर्गों से आने वाले ग्रुप ए अधिकारियों की कमी महसूस की जा रही है। (पपद्ध औपनिवेशिक काल के विरासत के रुप में प्राप्त प्रशासनिक ढाँचे में कोई तब्दीली (जतनबजनतंस बंदहम) नहीं लाने से भी शासन-प्रशासन और आम जनता के बीच दूरी बनी हुई है।

भारत में दलित-पिछड़ा-आदिवासी राजनीतिकों की राजनीति में जो दस्तक सुनायी पड़ रही है यह आरक्षण की राजनीति के चलते संभव हुआ है। जब-जब किसी राज्य में आरक्षण लागू हुआ है उन राज्यों में निम्न जातियों का सामाजिक-राजनीतिक जागरण हुआ है और सत्ता की राजनीति में उनके राजनीतिकों ने अपना दावा मजबूत किया है। बिहार के संदर्भ में हमारे पास कई उदाहरण डॉ राम मनोहर लोहिया के नारे 'पिछड़ा पावे सौ में साठ' का है जिसने पिछड़ों को गोलबंद किया और बिहार में पहली बार एक गैर कांग्रेस सरकार बनी और उस सरकार में अत्यंत पिछड़ी जाति में पैदा लिए कर्पूरी ठाकुर उप मुख्य मंत्री बने। दूसरा उहाहरण शहीद जगदेव प्रसाद के नारे सौ में नब्बे शोषित हैं, नब्बे भाग हमारा है का है। इस नारे के बदौलत बिहार में शोषित दल की सरकार बनी और पिछड़ी जाति में पैदा लिए सतीश प्रसाद सिंह और बी.पी.मंडल बिहार के शोषित समाज के पहले मुख्य मंत्री बनें। तीसरा

उदाहरण जननायक कर्पूरी ठाकुर का है जिनकी सरकार के द्वारा 1978 में लागू आरक्षण ने पिछड़ों और अत्यंत पिछड़ों में सामाजिक-राजनीतिक चेतना का विस्फोट किया। चौथा उदाहरण 1990 में मंडल आयोग की अनुसंशा को लागू करना है जिसने अखिल भारतीय स्तर पर पिछड़ी जातियों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम किया. यह मंडल की देन है कि लालू यादव की सरकार पन्द्रह वर्षों तक चलती रही और उनके बाद नीतीश कुमार सत्ताशीन हुए। पाँचवां उदाहरण नीतीश सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में अति पिछड़ों, महादलितों और औरतों को आरक्षण देना है जिसने इस सरकार को 2010 में अभूतपूर्व जनादेश प्रदान किया। जब जब आरक्षण की राजनीति मजबूत होती है तब तब दलितों-पिछड़ों और आदिवासियों की राजनीतिक दावेदारी भी मजबूत होती है।

यह मंडल की देन है कि आज पूरे देश की राजनीति में पिछड़ों की पूछ हो रही है। घनघोर रुप से सवर्ण मानसिकता से ग्रष्त नेतृत्व वाले दलों को भी पिछड़े राजनीतिकों को आगे करके राजनीति करनी पड़ रही है। मंडल की उपलब्धि केवल इतनी ही नहीं है कि सवर्ण वर्चस्व वाले राजनीति में पिछड़ों की प्रधानता को पैदा किया। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मंडल के चलते जाति का सवाल सामाजिक-राजनीतिक विमर्श के केन्द्र में आ पहुँचा जो सामाजिक शोषण और उत्पीडन से दलितों-पिछड़ों की मुक्ति की पहली शर्त है। मंडल के पहले सामाजिक-राजनीतिक विमर्श में जाति का सवाल हाशिए पर था। अंग्रेजी राज में मुक्ति संघर्ष में जाति के सवाल को दलित-पिछड़े नायकों ने जोरदार तरीके से उठाया किन्तु मुख्य धारा की राजनीति और सामाजिक-राजनीतिक विमर्श पर जिनका वर्चस्व था उन्होंने जाति के सवाल को सतह से ऊपर उठने नहीं दिया। जाति व्यवस्था आधारित भारतीय समाज में वर्गीय दृष्टिकोण से समाज, राजनीति और संस्कृति के सवालों को विश्लेषित करने की प्रथा सवर्ण वामपंथी और उदार पूंजीवादी बुद्धिजीविओं ने विकसित कर ली थी। मंडल ने इस प्रथा को जोरदार चुनौती दिया. आज सवर्ण बुद्धिजीवी भी जाति के सवाल को महत्व देने के लिए विवश हैं. उन्हें इस बात का डर है कि यदि उन्होंने जाति के सवाल को नजरंदाज किया तो उन पर जातिवादी और सतही होने का आरोप चस्पां हो जाएगा।

सवर्ण बुद्धिजीवीगण प्रायः ही मंडल पर समाज को विभाजित करने का आरोप लगाते हैं किन्तु वे भूल जाते हैं कि मंडल ने समाज को जितना विभाजित किया उससे ज्यादा एकता का निर्माण किया। अंग्रेजी राज से आजादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रीय एकता के लिए जो हासिल किया गया उसके बाद यदि भारत की राष्ट्रीय एकता को किसी ने सबसे ज्यादा मजबूत बनाया है तो वह मंडल है। मंडल ने देश की बावन प्रतिशत आबादी को चाहे वह कोई भी धर्म मानते हों या भाषा बोलते हों को एक नाम, ओबीसी, एक पहचान, ओबीसी, और एक चेतना, ओबीसी, दिया। आज उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के पिछड़े अपने को ओबीसी कहते हैं और आपस में एक जगह बैठकर मशविरा करते हैं. मंडल के पहले यह संभव नहीं था। जो लोग मंडल पर समाज को विभाजित करने का आरोप लगाते हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि मंडल ने कमंडल की हवा निकालकर देश को साम्प्रदायिक फासीवाद के भयावह दौर में जाने से बचा लिया। यह मंडल ही था जिसके प्रभाव ने साम्प्रदायिक दलों को क्षेत्रीय सेक्यूलर दलों से समझौता करने के लिए मजबूर किया अन्यथा वह अकेले ही केंद्रीय सत्ता पर काबिज होने के लिए अग्रसर था। मंडल के चलते सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई ने पूरे देश की दलित पिछड़ी जनता को प्रेरित किया है जिसके चलते क्षेत्रवाद कमजोर हुआ है। सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई मुस्लिम समाज में भी छिड़ चुकी है जिसके चलते मुस्लिम कट्टरपन्थ को समाज के भीतर से चुनौती मिल रही है. मुस्लिम समाज के दलित और पिछड़े कबीराना अंदाज़ में 'दलित पिछड़ा एक समाना, हिंदू हो या मुसलमाना' नारा बुलंद करते हुए पसमांदा पहचान के तहत अपने को संगठित कर रहे हैं। यही परिघटना सिख और ईसाई समाज में भी परिलक्षित हो रहा है।

मंडल ने अपने विरोधियों को भी आपस में जोड़ा है. बिहार में तथाकथित अगड़ी जातियों में आपसी द्वेष जगजाहिर रहा है। मंडल के विरोध ने जातीय-वर्गीय हितों के तहत उन्हें आपस में ज्यादा नजदीक लाया है। इसका एक अच्छा परिणाम यह हुआ है कि उनमें आपस में अंतर्जातीय विवाह अधिकाधिक हो रहे हैं और उनको सामाजिक स्वीकृति भी मिल रही है। निश्चय ही इसकी एक बड़ी वजह बढ़ती आधुनिकता भी है किन्तु मंडल के पहले आधुनिकता की यही हवा स्वीकार्य नहीं थी। भारतीय समाज में अक्सर ही निम्न जातियां उच्च जातियों के उदाहरणों का अनुकरण करती हैं। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि निम्न जातियों में भी अंतर्जातीय विवाहों का सिलसिला शुरु होगा।

मंडल ने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के माध्यम से सामाजिक एकाधिकार पर चोट पहुँचा कर, जाति के सवाल को केन्द्र में लाकर, सामाजिक न्याय को हासिल करने की इच्छा पूरे देश में फैलाकर और अंतर्जातीय विवाहों को पहले किसी भी समय की अपेक्षा ज्यादा स्वीकार्य बनाकर जाति व्यवस्था को संकट में डाल दिया है। बुद्ध के बाद भारत के इतिहास में मंडल ने वह दौर लाया है जब जाति व्यवस्था एक बार फिर संकटग्रस्त दिखाई दे रही है। बुद्ध की क्रांति के बाद प्रतिक्रांति का दौर आया था जिसने जाति व्यवस्था को ढहने से बचा लिया। क्या मंडल जनित सामाजिक क्रांति की प्रक्रिया पर भी प्रतिक्रांति का खतरा मंडरा रहा है? इतिहास सीधी रेखा में नहीं बल्कि धक्के और हिचकोलों के बीच से आगे बढ़ता है। प्रतिक्रांति की आशंका को खारिज करना खतरे से खाली नहीं होगा। सभी धर्मों का कट्टरवादी सामाजिक एकाधिकारवादी तबका निम्न तबकों में आ रहे सामाजिक जागृति के खिलाफ है। प्रतिक्रांति के सम्भावित रास्तों और उनके समाधान की पहचान करनी होगी।

●●●

अशोक आनंद

सूबेदार साहब को शब्द सुमनाजंलि

सूबेदार किसी सूबे के नहीं,
वंचितों-शोषितों-पिछड़ों के ही सही,
दिलों पर राज करते थे साहब
हमारे मुखिया हमारे नायक थे साहब

हमारे आदर्श, हमारे शिक्षक आत्मीय हमारे
गरीब-मजलूमों के मन आकाश के चमकते सितारे
क्या कहूँ-कितना कहूँ, शब्दों की अपनी सीमायें,
आप के व्यक्तित्व व कृतित्व की असीम धारायें,
कहाँ से हो शुरु, कहाँ हो अन्त
निर्विवाद अणुकरणीय, बेदाग अनन्त

क्लर्क से कमिश्नर तक यात्रा संघर्ष
कंटकाकीर्ण मार्ग-कठिन और दुर्धर्ष
अलग-अलग जिम्मेदारियों और कई भूमिकायें,
समाजिक प्रतिबद्धता हो कि सरकारी सेवायें,

सबकी पूर्णता कार्यान्वयन और सजगता
पढ़ना-पढ़ाना, मन-वाणी-कर्म की एक रुपता,
खांस पहंचान, कई पुस्तकों का अवदान,
कैडर प्रशिक्षण और बहुजन ज्ञानदान

अलग, अनूठा अतुलनीय विशिष्ट व्यक्तित्व,
है पता सर्वजन को, लोकहित सुकृत्य
भूलेंगे कैसे हम, ओजस्वी वो रससिक्त वाणी
सदियों में मिलते बिरले आप सम प्राणी

याद आतें हैं, धम्म प्रशिक्षण, धम्मशिक्षा, बुद्धवाद,
गहन अध्ययन-गहरी पैठ सुत्तपाठ, अम्बेडकरवाद
इतवार की शाम, संभाषण-चक्रमण नियमित
सादा-सफल जीवन सब कुछ संयमित,
माना सब नश्वर-परिवर्तन शील और अनित्य
लेकिन शाश्वत अमिट आपके कृत्य

प्रेरणा, शिक्षा पितृवत आपके निर्देश
करना पूरा हमें वही, जो बाकी बचा शेष
कामना मेरी आप पुनः पुनः आना
बार-बार हम सोते को जगाना

बनना फूले-भीम पेरियार और मान्यवर
जब तक इंसां नहीं बन पाते शोषक जानवर
बहती नहीं हवायें जबतक समता की
पटती नहीं खाई जब तक विषमता की
आना, बार-बार आना सबको जगाना
हर बार समता समानता भाई चारा ही बताना

चाहे हो संगम श्री प्रकाश या कि सूबेदार
रहेगी ये माटी इनकी कर्जदार
आओ, मिलकर आओ, अपनी भूमिकायें निभाओ
साहब को सच्ची श्रद्धांजलि, भारत से भेद भगाओ।

● ● ●

अन्य पिछड़े वर्गों हेतु संसदीय समिति के चेयरमैन श्री बी.के. हांडिक का फेडरेशन के महामंत्री जी. करुणानिधि द्वारा सम्मान

25 जुलाई, दिल्ली, संसद एनेक्सी में अन्य पिछड़े वर्गों की संसदीय समिति की पहली बैठक पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकार दिये जाने के लिए आयोजित की गयी। राष्ट्रीय अ.पि. आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एम.एन. राव ने आयोग को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों की चर्चा की एवं आयोग को और अधिकार सम्पन्न बनाने की जरुरत पर बल दिया।

आल इंडिया फेडरेशन की ओर से महामंत्री जी. करुणानिधि ने संसदीय समिति के चैयरमेन बी. के. हांडिक को सम्मानित किया।

संध्या में पार्लियामेण्टरी फोरम ऑफ ओबीसी एमपीज की ओर से 11 जनपद में संसद श्री हनुमंत राव, फोरम के कनवेनर एवं AIOBC फेडरेशन के प्रेसिडेन्ट द्वारा श्री हांडिक का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मान कार्यक्रम में महामंत्री जी. करुणानिधि ने श्री हांडिक को शॉल प्रदान किया।

मीडिया को सम्बोधित करते हुए श्री हांडिक ने कहा की संसदीय समिति की पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय अ.पि. आयोग को अधिकार देने की होगी।

कार्यक्रम में फेडरेशन के संरक्षक एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री श्री वी. नारायणसामी, सांसद बेनी प्रसाद वर्मा, जी.के. वासन, महादेव सिंह खंडेला, श्रीकांत जेना, गोपीनाथ मुंडे एवं राष्ट्रीय अ.पि. आयोग के सदस्य श्री अंसारी उपस्थित हुए।

असम राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ का सेमिनार एवं राष्ट्रीय समागम गुवाहाटी में

असम राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के प्रथम राज्य सम्मेलन नवम्बर 2011 में मंचासीन अतिथिगण

असम राज्य सम्मेलन में फेडरेशन के महासचिव जी. करुणानिधि, उपाध्यक्ष रवीन्द्र राम एवं संगठन सचिव अमृतांशु का स्वागत

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के समस्त अधिकारियों को हार्दिक बधाई जिन्होंने विभागीय परीक्षाओं में प्रोन्नति पाई है

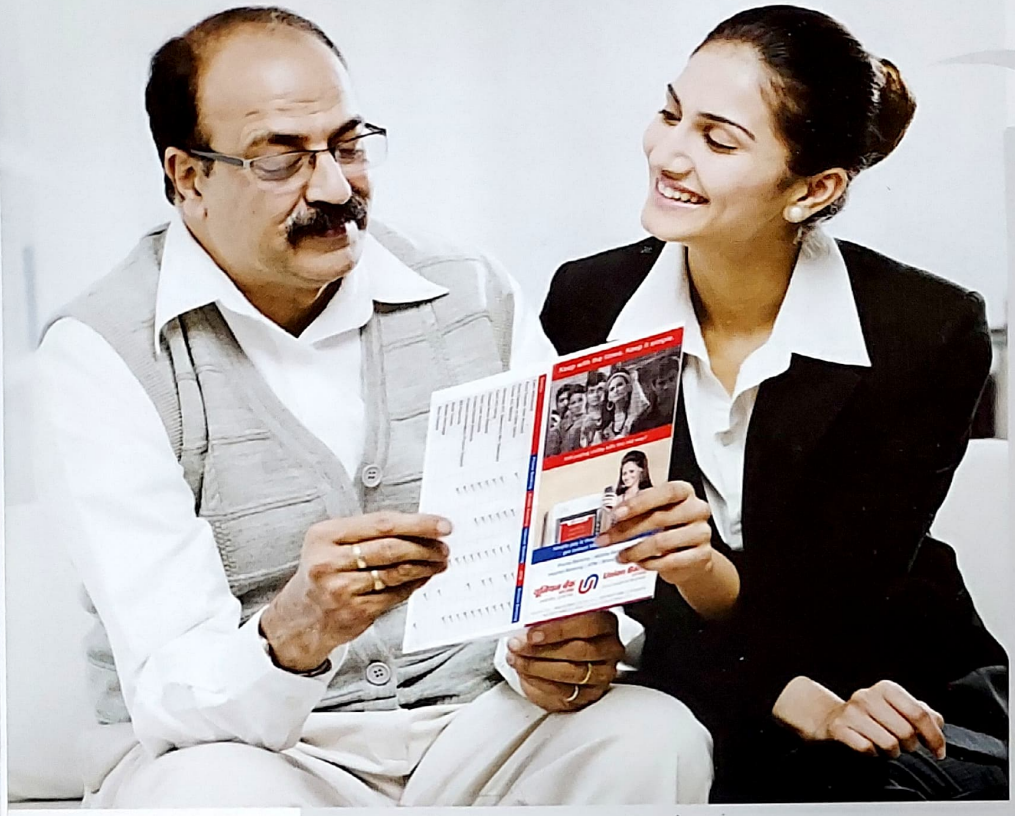

डैड,
मुझे लगता है
मैं भी अपना
यूनियन बैंक
बचत खाता
खोल दूं

यूनियन बैंक बचत खाता खोलिए
सुविधाओं के साथ बैंकिंग का आनंद उठाइए

- एटीएम सह इंटरनैशनल डेबिट कार्डस
- फ्लेक्सी डिपॉज़िट
- बहुशहरी चेक सुविधा
- इंटरनेट बैंकिंग
- एसएमएस/मोबाईल बैंकिंग
- फोन बैंकिंग
- डिमैट सेवा
- एएसबीए (अस्बा)
- ऑनलाईनआरटीजीएस/एनईएफटी

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank
of India
Good people to bank with

1800 22 2244 (टोल फ्री नं.) | 022 2575 1500 (प्रभार्य)
022 2571 9600 (एनआरआई के लिए) | www.unionbankofindia.co.in